कहीं आप भी तो नहीं खरीद रहे घटिया सैनिटाइजर

By: Inextlive | Updated Date: Fri, 24 Apr 2020 05:30:25 (IST)

--बिना लाइसेंस सैनिटाइजर बनानेवाली दो फर्म पर रांची में एफआईआर दर्ज

-- कई लोग चोरी छिपे कर रहे घटिया सैनिटाइजर का अवैध कारोबार

- राज्य में 6 एजेंसी को अस्थाई तौर पर सैनिटाइजर बनाने का मिला है लाइसेंस

|

इस कोरोना महामारी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो इसका लाभ उठा रहे हैं। खासकर वैसी चीजों का लाभ उठा रहे हैं जिसकी सबसे अधिक जरूरत होती है। कोरोना की लड़ाई में सबसे मजबूत हथियार सैनिटाइजर माना जा रहा है। लेकिन लोगों ने इसकी भी कालाबाजारी और अवैध उत्पादन शुरू करके लाभ कमाना शुरू कर दिया है। राजधानी में ही दो एजेंसी को बिना लाइसेंस सैनिटाइजर का उत्पादन करने के मामले में एफआइआर हो चुका है। औषधि निदेशालय को जितनी सूचना मिल पाती है उतनी जगहों पर रेड मारा जाता है, लेकिन बहुत सी जानकारी औषधि निदेशालय को भी नहीं मिल पाती है। इस कारण अवैध सैनिटाइजर का उत्पादन हो रहा है।

सिर्फ 6 लोगों को लाइसेंस

ड्रग निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि अस्थाई तौर पर सैनिटाइजर का निर्माण करने के लिए कुछ शराब कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। इसमें रांची की वॉक्सपोल फैक्ट्री और श्रीलैब को भी सैनिटाइजर बनाने का लाइसेंस मिला है। लेकिन बहुत सारे अन्य लोग भी अपने घरों से सैनिटाइजर का निर्माण कोई भी केमिकल मिलाकर कर रहे हैं और बाजार में इसे बेच रहे हैं। निदेशालय को जैसे ही सूचना मिल रही है उनको पकड़ कर एफआईआर की जा रही है।

केमिकल का अता-पता नहीं

सैनिटाइजर बनाने के लिए औषधि निदेशालय द्वारा कई नियम और शर्तें तय हैं। कौन-सा डिस्टलरी मिलाया जाएगा। कौन सा केमिकल मिलाया जाएगा। कितनी मात्रा में मिलाया जाएगा। जिन लोगों को लाइसेंस दिया जाता है उनकी विभाग मॉनिटर करके जांच भी करता है। लेकिन बहुत सारे लोग बिना लाइसेंस के ही

सैनिटाइजर का उत्पादन कर रहे हैं। वो कौन सा अल्कोहल मिला रहे हैं कितनी मात्रा में मिला रहे हैं, ये उनकी मर्जी पर होता है। इससे जान-माल को भी नुकसान हो सकता है।

सुदूर इलाकों में सप्लाई

रातू के काठीटांड़ में मिश्रा क्लीनिकल सेंटर नामक एजेंसी अपने घर के तीन कमरों में सैनिटाइजर बना रही थी। औषधि निदेशालय को जब पता चला तो विभाग ने छापा मारा उस दौरान वहां कई कच्चा माल, अल्कोहल और डिस्टलरी भी पकड़ा गया। जांच के दौरान वहां गुमला, लोहरदगा जैसे छोटे-छोटे मेडिकल हॉल की जानकारी भी मिली। जहां पर यह सैनिटाइजर बेचा जाता था, जो लोग बिना लाइसेंस के सैनिटाइजर बना रहे हैं, उनका टारगेट गांव-देहात के छोटे-छोटे बाजार होते हैं जहां ये बेचते हैं। जांच के बाद इस एजेंसी पर एफआईआर भी दर्ज की गई है।

दवाई दोस्त के खिलाफ भी एफआईआर

रांची में दवाई दोस्त द्वारा अवैध रूप से सैनिटाइजर की बिक्त्री और निर्माण को लेकर एफआइआर दर्ज कराई गई है। दवाई दोस्त में बिना लेबल के सैनिटाइजर बेचा जा रहा था, जिसके बाद स्टेट ड्रग कंट्रोलर ऋतु सहाय के निर्देश से छापा मारा गया। बरियातू थाना में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट उल्लंघन के तहत मामला दर्ज कराया है। बता दें कि रांची जिला में दवाई दोस्त के विभिन्न स्टोर में बिना लेबल के सैनिटाइजर बेचा जा रहा था। छापेमारी के दौरान रिम्स परिसर के काउंटर के बगल में बने गैराज से हजारों लीटर कच्चा माल और सैनिटाइजर बरामद किया गया। दवाई दोस्त के विभिन्न काउंटर में 25 रुपये में 100 एमएल सैनिटाइजर बेचा जा रहा है।

राज्य में सैनिटाइजर की भारी कमी

कोरोना की इस महामारी में सबसे अधिक सैनिटाइजर की जरूरत है। राज्य में सैनिटाइजर की भारी कमी है। जिस किसी दवा दुकान में सैनिटाइजर उपलब्ध है, वे या तो इसे अधिक दाम में बेच रहे हैं या फिर स्टॉक को दबा कर रख रहे हैं। इसको लेकर लगातार औषधि नियंत्रक विभाग छापेमारी भी कर रहा है। दवाई दोस्त से पहले राज्य के विभिन्न दुकानों पर छापेमारी के बाद एफआइआर भी दर्ज की गई है।

सैनिटाइजर बनाने के लिए औषधि निदेशालय की ओर से लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग बिना लाइसेंस के ही सैनिटाइजर का निर्माण कर रहे हैं। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिलती है वहां छापेमारी करके एफआईआर भी दर्ज किया जा रहा है।

-प्रतिभा झा, ड्रग इंस्पेक्टर ,रांची

Posted By: **Inextlive**

Source: https://www.inextlive.com/beware-with-duplicate-sanitizer-237814